



## मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme)

### चर्चा में क्यों?

वर्षों से नज्दी क्षेत्र के नयिकताओं को, वसितारति कयि गए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश नयिम को लागू करने के संबध में प्रोत्साहति करने हेतु शर्म मंत्रालय उन नयिकताओं को 7 हफ्तों का पारशिरमकि वापस करने के लयि प्रोत्साहन योजना पर कार्य कर रहा है।

### महत्त्वपूर्ण बडि

- शर्म एवं रोजगार मंत्रालय एक ऐसी प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत 15,000/- रुपए तक की वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को अपने यहाँ नौकरी पर रखने वाले और 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने वाले नयिकताओं को 7 हफ्तों का पारशिरमकि वापस कर दिया जाएगा।
- इसके लयि कुछ शर्तें भी तय की गई हैं और यह अनुमान लगाया गया है कि प्रस्तावति प्रोत्साहन योजना पर अमल करने से भारत सरकार, शर्म एवं रोजगार मंत्रालय को लगभग 400 करोड़ रुपए का वतितीय बोझ वहन करना पड़ेगा।

### प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

- 26 सप्ताह के वसितारति मातृत्व अवकाश नयिम पर अमल करना, सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में अच्छा साबति हो रहा है लेकिन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि यह नज्दी क्षेत्र के साथ-साथ अनुबंध या ठेके (Contract) पर काम करने वाली महिलाओं के लयि सही साबति नहीं हो रहा।
- आमतौर पर यह धारणा है कि नज्दी क्षेत्र के निकाय महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहति नहीं करते हैं, क्योंकि यदि महिलाओं को रोजगार पर रखा जाता है तो उन्हें विशेषकर 26 हफ्तों के वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देना पड़ता है।
- साथ ही शर्म एवं रोजगार मंत्रालय को इस आशय की भी शकियतें मलि रही हैं कि जब नयिकता को यह जानकारी मलिती है कि उनकी कोई महिला कर्मचारी गर्भवती है अथवा वह जब मातृत्व अवकाश के लयि आवेदन करती है तो बिना किसी ठोस आधार के ही उसके साथ कयि गए अनुबंध को नरिसत कर दिया जाता है।
- शर्म मंत्रालय को इस संबध में कई ज्ञापन मलि हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह से मातृत्व अवकाश की बढी हुई अवधि महिला कर्मचारियों के लयि नुकसानदेह साबति हो रही है, क्योंकि मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले ही किसी ठोस आधार के बिना ही उन्हें या तो इस्तीफा देने को कहा जाता है अथवा उनकी छँटनी कर दी जाती है।
- इसलयि शर्म एवं रोजगार मंत्रालय को इस प्रकार के प्रोत्साहन योजना को लाने की आवश्यकता पड़ी।

### प्रोत्साहन योजना का प्रभाव

- प्रस्तावति योजना यदि स्वीकृत और कार्यान्वति कर दी जाती है तो वह इस देश की महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा एवं सुरक्षति परविश सुनिश्चति कराने के साथ-साथ रोजगार एवं अन्य स्वीकृत लाभों तक उनकी समान पहुँच भी सुनिश्चति करेगी।
- इसके अलावा महिलाएँ शशि की देखभाल के साथ-साथ घरेलू कार्य भी अच्छे ढंग से निपटा सकेंगी।
- शर्म एवं रोजगार मंत्रालय फलिहाल आवश्यक बजटीय अनुदान प्राप्त करने और सक्षम प्राधिकरणों से मंजूरीयें प्राप्त करने की प्रव्रयि में है, परंतु फलिहाल मंत्रालय में शर्म कल्याण उपकर (Less) जैसा कोई भी उपकर उपलब्ध नहीं है।

### अधनियम की पृष्ठभूमि

- मातृत्व लाभ अधनियम, 1961 के दायरे में वे कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें एवं प्रतष्ठितान और अन्य निकाय आते हैं, जहाँ 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
- इस अधनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष प्रतष्ठितानों में शशि के जन्म से पहले और उसके बाद की कुछ विशेष अवधि के लयि वहाँ कार्यरत महिलाओं के रोजगार का नयिमन करना और उन्हें मातृत्व लाभ के साथ-साथ कुछ अन्य फायदे भी मुहैया कराना है।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधनियम, 2017 के ज़रयि इस अधनियम में संशोधन कयिा गया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा महिला कर्मचारियों के लयि वेतन सहति मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्तों से बढाकर 26 हफ्ते कर दी गई है।

